वित्त आयोग से छत्तीसगढ़ के लिये विशेष अनुदान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने **राज्य की बड़ी जनजातीय आबादी, चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों और कुछ क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विशेष केंद्रीय अनुदान** का अनुरोध किया था।

- यह मांग **16वें वित्त आयोग** के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान की गई।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने आयोग को **नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेज़ी से किये जा रहे विकास कार्यों** और **माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये उठाए जा रहे प्रभावी कदमों** की जानकारी दी।
  - **'नियद नेल्लानार योजना'** के तहत इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत् और जल जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
  - हालाँकि इन क्षेत्रों में **चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों** के कारण बुनियादी ढाँचे के विकास पर **अतिरिक्त व्यय** होता है।
- खनिज समृद्ध राज्य में **खनन गतिविधियों के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों** से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये अतिरिक्त व्यय किया गया।
  - **उपभोग आधारित गंतव्य कर प्रणाली** के रूप में **GST (वस्तु एवं सेवा कर)** के कारण, खनन गतिविधियों का **वास्तविक लाभ छत्तीसगढ़ के बजाय उन राज्यों को मिल रहा है** जहाँ खनिज मूल्य संवर्द्धन और खपत होती है।

नियद नेल्लानार योजना

- नियद नेल्लानार, जिसका अर्थ है **"आपका अच्छा गाँव" अथवा "योर गुड विलेज"** स्थानीय दंडामी बोली (दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली) है।
- इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में **सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गाँवों में सुविधाएँ और लाभ प्रदान** किये जाएंगे।
  - **बस्तर में 14 नये सुरक्षा कैंप स्थापित किये गए हैं।** ये शिविर **नई योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने** में भी सहायता करेंगे। नियद नेल्लानार के तहत ऐसे गाँवों में लगभग 25 बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

वित्त आयोग

- भारत में वित्त आयोग **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280** के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
  - इसका प्राथमिक कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच **वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश** करना है।
- **15वें वित्त आयोग** का गठन **27 नवंबर, 2017** को किया गया था। इसने अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्टों के माध्यम से **1 अप्रैल, 2020** से शुरू होने वाली छह वर्षों की अवधि को कवर करने वाली सिफारिशें कीं।
  - 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष **2025-26** तक मान्य हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/special-grants-for-chhattisgarh-from-finance-commission